मो० खालिद अनवर, माननीय सदस्य बिहार बिधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– 1/212/1156 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	सरकार का उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में कोचिंग सेंटर चला रही है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य कोचिंग योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष में हज भवन, पटना में 71वीं बीपीएससी (प्रारंभिक एवं मुख्य), 70वीं बीपीएससी (Mock Interview), NEET-JEE, SSC (इंटर लेवल), सब–इंस्पेक्टर एवं बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा (विज्ञापन सं. 01/2025) की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से BPSC, NEET-JEE एवं SSC कोचिंग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण बिहार के विभिन्न जिलों में स्थापित अल्पसंख्यक छात्रावासों में किया जाता है, जिससे संबंधित जिलों के अधिकतम छात्र–छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना में 71वीं बीपीएससी (मुख्य) एवं TRE-4.0 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संचालित की जा रही है तथा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में APO/न्यायिक सेवा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बिहार के 8 जिलों यथा मुजफ्फरपुर, अररिया, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), सिवान एवं दरभंगा में केन्द्रीय चयन पर्षद (बिहार सिपाही भर्ती) परीक्षा (विज्ञापन सं. 01/2025) के शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम संचालित किया जाना अनुमोदित है।
(ख)	क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इनमें से बहुत सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं;	**अस्वीकारात्मक** नोडल एजेंसी राज्य कोचिंग योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से न तो स्थायी रूप से कोई कोचिंग सेंटर स्थापित करती है और न ही किसी सेंटर को बंद करती है। इच्छुक संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों को नोडल एजेंसी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अग्रसारित किया जाता है। योजना कार्यक्रम एवं अनुमोदन समिति की स्वीकृति के उपरांत, स्वीकृत अवधि के लिए ही संबंधित संस्था को कोचिंग संचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। स्वीकृत अवधि पूर्ण होने पर कोचिंग स्वतः समाप्त मानी जाती है। पुनः कोचिंग संचालन हेतु संस्था को नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नोडल एजेंसी द्वारा किसी भी प्रस्ताव को न तो लंबित रखा जाता है और न ही रद्द किया जाता है।

(ग)	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाना चाहेगी कि अब तक कितने कोचिंग सेंटर खोले गए एवं कितने बंद पड़े हैं एवं बंद पड़े कोचिंग सेंटरों के पुनः परिचालन कबतक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य कोचिंग योजना के अंतर्गत बिहार में किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया गया है। कोचिंग कार्यक्रम केवल स्वीकृत योजना अवधि की पूर्णता तक ही संचालित किए जाते हैं। बिहार के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार कोचिंग संचालन हेतु विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–विधायी–75/2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को मो० खालिद अनवर, माननीय सदस्य बिहार बिधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– 1/212/1156 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–विधायी–75/2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–09–09–विधायी–75/2026 835 पटना, दिनांक 20.02.2026

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक (विधायी कार्य)/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.26

सरकार के अपर सचिव